क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	10/4/23	वादी/प्रार्थी की ओर से वाद विड्रो किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर पत्रावली तलब की गई। वकील वादी को सुना गया तथा प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, वकील वादी की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर स्वीकार किया जाता है। राजीनामे के आधार पर वाद फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होने से T.I का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अत: पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया। सहायक कलेक्टर सांभर लेक (जयपुर)